

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1767
जिसका उत्तर दिनांक 13.12.2023 को दिया जाना है

परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण

1767. डॉ. सत्यपाल सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार परमाणु, औद्योगिक और विकिरण सुविधाओं का नियमित विनियामक निरीक्षण करती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा किए गए निरीक्षणों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
- (ग) ऐसे नैदानिक प्रयोगशाला अस्पतालों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है जो इन विनियामक प्रावधान/लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के उपबंधों का उल्लंघन करते पाए गए हैं; और
- (घ) विनियामक आवश्यकताओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) जी, हां।
- (ख) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) नाभिकीय, औद्योगिक और विकिरण सुविधाओं का नियामक निरीक्षण (आरआई) करती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी चरणों अर्थात् स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन, प्रचालन, विकमीशनन और सुविधाओं के आयुर्काल चक्र के नियामक नियंत्रण से मुक्ति के दौरान लाइसेंसधारी द्वारा किए गए कार्य लाइसेंस की शर्तों और संबंधित संरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन में निष्पादित किए गए हों। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एईआरबी द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या, वर्ष-वार निम्नानुसार हैं :

सुविधाओं का प्रकार	2020	2021	2022	2023
नाभिकीय और औद्योगिक सुविधाएं	74	96	124	126
विकिरण सुविधाएं	440	758	912	771

(ग) वर्ष 2020-2023 की अवधि के दौरान 853 नैदानिक प्रयोगशालाओं/अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। 495 सुविधाओं को कुछ नियामक प्रावधानों या लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं से विचलन पाया गया। नाभिकीय और विकिरण सुविधाओं के नियामक निरीक्षण के दौरान अवलोकित विचलनों के संरक्षा महत्व को निर्धारित करने में एईआरबी एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का अनुपालन करता है। इन निरीक्षणों के दौरान उच्च संरक्षा महत्व का कोई विचलन नहीं अवलोकित किया गया। जिन सुविधाओं में नियामक के कुछ प्रावधानों या लाइसेंस देने संबंधी आवश्यकताओं से विचलन पाया गया, उन सुविधाओं की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है।

(घ) एईआरबी नियामक संरक्षा दस्तावेजों के रूप में उपयोगिताओं और उपयोगकर्ताओं के लिए संरक्षा आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों को विकसित और निर्धारित करता है। नियामक संरक्षा दस्तावेज परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के प्रावधानों के तहत जारी किए जाते हैं। विनियामक संरक्षा दस्तावेजों को श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण के साथ विनियमित नाभिकीय और विकिरण सुविधाओं और गतिविधियों, जो भी लागू हो, की तमाम कार्यविधियों को शामिल करने की दृष्टि से विकसित किया गया है।

नए नियामक संरक्षा दस्तावेजों को विकसित किया जाता है या मौजूदा दस्तावेजों को प्रौद्योगिकीय प्रगति, अंतरराष्ट्रीय अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास कार्य में परिवर्तन, सीखे गए संबंधित प्रचालनीय अभ्यास और संस्थागत ज्ञान के आधार पर संशोधित किया जाता है। एईआरबी के पास नियामक संरक्षा दस्तावेजों के विकास, समीक्षा, संशोधन और प्रकाशन के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। एईआरबी ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सुविधाओं और गतिविधियों को शामिल करते हुए संरक्षा संहिता, संरक्षा मानक और संरक्षा मार्गदर्शिकाएं विकसित की गई हैं। विकिरण स्रोतों, उपकरणों और स्थापना और अभ्यास-विशिष्ट संरक्षा मार्गदर्शिकाओं के लिए एक संरक्षा संहिता विकास करने का कार्य नियामक आवश्यकताओं और मार्गदर्शन के एक सुसंगत ढांचे को विकसित करने की दिशा में एक कदम के रूप में लिया गया है।

* * * * *

अनुलग्नक-1

जिन नैदानिक प्रयोगशालाओं अस्पतालों में नियामक के कुछ प्रावधानों या लाइसेंस देने संबंधी आवश्यकताओं से विचलन पाया गया, उनकी संख्या (राज्य-वार और वर्ष-वार) निम्नानुसार है:

राज्य	2020	2021	2022	2023	कुल योग
आंध्र प्रदेश		10	4	6	20
अरुणाचल प्रदेश				1	1
असम	1	3	7	3	14
बिहार	1	4	7	4	16
चंडीगढ़	1		1	2	4
छत्तीसगढ़	2			7	9
दिल्ली	18	8	2	6	34
गोवा	1				1
गुजरात		4	13	3	20
हरियाणा	3	2	5	12	22
जम्मू व कश्मीर		2			2
झारखंड	1	2	1	3	7
कर्नाटक	6	2	11	12	31
केरल		4	8		12
मध्य प्रदेश	1	3	10	3	17
महाराष्ट्र	10	14	19	18	61
मणिपुर		2			2
मेघालय			1	1	2
मिज़ोरम		1			1
नागालैंड		1	1		2
ओडिशा		6	6	8	20
पुदुचेरी		1			1
पंजाब	3	5	5	8	21
राजस्थान	4	7		3	14
सिक्किम		1			1
तमिलनाडु	3	12	14	15	44
तेलंगाना	1	13	3	3	20
त्रिपुरा	1				1
उत्तर प्रदेश	19	8	11	13	51
उत्तराखंड			1	1	2
पश्चिम बंगाल		9	18	15	42
कुल योग	76	124	148	147	495